न्यायालय भरण पोषण अधिकरण(उपखण्ड मजिस्ट्रेट) डीग

प्र0 संख्याः– 05/2024 (जी.सी. एम.एस.नम्बर 2024/168) पीठासीन अधिकारीः–श्री देवी सिंह (RAS)

उनवान

1. मदनलाल पुत्र स्व. भैदीराम जाति रैगर निवासी नई सडक रैगर मौहल्ला कस्बा डीग
2. श्रीमति पुष्पा पत्नी मदनलाल जाति रैगर नि0 नई सडक रैगर मौहल्ला कस्बा डीग

–प्रार्थीगण

बनाम

1. मनीष कुमार पुत्र मदनलाल जाति रैगर नि0 नई सडक रैगर मौहल्ला कस्बा डीग
2. श्रीमति कविता पत्नी मनीष कुमार जाति रैगर नि0 नई सडक रैगर मौहल्ला कस्बा डीग

–अप्रार्थीगण

पिटीशन (प्रार्थना पत्र) अन्तर्गत धारा 5 व 24 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक का भरण–पोषण तथा कल्याण अधि0 2007

आदेश दिनांकः 24.01.2024

प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र भरण–पोषण अधिनियम के संबंध में पेश किया। प्रार्थीगण को सुना गया। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 व 24 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 अप्रार्थीगण के विरूद्व पेश किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण मनीष कुमार,श्रीमति कविता की ओर से दिनांक 3.12.2024 को मय वकालतनामा के श्री लोकेन्द्र सिंह अधिवक्ता उपस्थित आये।

प्रार्थीगण ने अपने परिवाद/प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि प्रार्थी संख्या 01 की आयु 57 साल है तथा प्रार्थी संख्या 02 प्रार्थी संख्या 01 की पत्नी है। जिसकी आयु 56 है जोकि एक बृद्व असहाय है और चलने फिरने में पूर्णतया असमर्थ है तथा अशक्तजन है और प्रार्थीगण अक्सर बीमार रहते है तथा प्रार्थीगण की एक पुत्री तनु जिसकी आयु 20 साल है जो प्रार्थीगण के साथ रहती है। अप्रार्थी संख्या 01 प्रार्थीगण का पुत्र है तथा अप्रार्थीया संख्या 02 अप्रार्थी संख्या 01 की पत्नी है। अप्रार्थीगण आये दिन प्रार्थीगण के साथ बुरी तरह से मारपीट करते है और प्रार्थीगण को ना तो समय पर खाना देते है ना ही प्रार्थीगण के बीमार होने पर उनकी दवा आदि का बन्दोवस्त करते है और हर समय प्रार्थीगण के साथ मारपीट कर झगडा फिसाद करते रहते है। प्रार्थीगण के मना करने पर प्रार्थीगण को घर से बाहर निकाल देते है। प्रार्थीगण के पास दो मकानात है जिसमें से एक पूरे मकान पर अप्रार्थीगण ने कब्जा

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

कर प्रार्थीगण को बदेखल कर दिया है व दूसरे मकान पर भी कब्जा करना चाहते है। प्रार्थीगण का पुत्र है जो वर्तमान में शिक्षा विभाग में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय घोसिंगा जुरहरा में द्वितीय श्रेणी का अध्यापक है। जिसे करीव 80,000/–रूपये प्रति माह वेतन मिलता है। प्रार्थीगण दर दर की ठोकर खाने के लिये अप्रार्थीगण ने मजबूर कर रखा है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के साथ आये दिन अकारण झगडा व मारपीट कर झगडा फिसाद करते रहते है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण से 15,000/–रू0, 15,000/–रू0 प्रतिमाह भरण पोषण राशि पाने का अधिकारी है तथा प्रार्थीगण को उनके अपने निवास से बेदखल नहीं करें इस हेतु पुलिस संरक्षण की आवश्यकता है।

अतः प्रार्थना है कि अप्रार्थीगण से प्रार्थीगण को अपने भरण पोषण हेतु 30,000/–रू0 प्रतिमाह दिलाये जावे तथा प्रार्थीगण को अपने निवास से बेदखल नहीं करने व अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के साथ मारपीट व बदसलूकी नहीं करने हेतु पावंद फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र दिनांक 06.09.2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। दिनांक 17.10.2024 को अप्रार्थी संख्या 1 व अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से लोकेन्द्र सिंह एड0 के द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। अवसर दिये जाने के बावजूद अप्रार्थीगण की ओर से कोई जबावदेही नहीं की गई। दिनांक 17.12.2024 को अप्रार्थीगण की अनुपस्थिति दर्ज कर एक पक्षीय कार्यवाही की गई। दिनांक 13.01.2025 को वकील प्रार्थीगण को सुना गया।

प्रार्थीगण द्वारा माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 5 व 24 के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी संख्या 1 मदनलाल,प्रार्थी संख्या 2 श्रीमति पुष्पा आयु क्रमशः 57 साल व 56 साल अधिनियम की धारा 2(ज)के तहत वरिष्ठ नागरिक की परिभाषा में नहीं आते है क्योंकि उन्होंने साठ बर्ष की आयु अभी प्राप्त नहीं की है। लेकिन 2(घ) के तहत अप्रार्थी संख्या 1 मनीष कुमार के जैविक माता पिता है। भारतीय संस्कृति में माता पिता एवं वरिष्ठजनों को पूज्यनीय एवं वन्दनीय माना गया है। इनका मान सम्मान भरण पोषण देखरेख कल्याण एवं संरक्षण प्रत्येक व्यक्ति का नैतिक एवं पवित्र दायित्व है।

अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण का भरण पोषण नहीं किया जा रहा है। इस अधिनियम की धारा 2 (ख)में भरण पोषण में भोजन,कपडा,निवास,चिकित्सीय परिचर्या,इलाज हेतु व्यवस्था शामिल है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5 में प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी से 15,000/–रू. 15,000/–रू0 कुल 30,000/–रू0 की मांग की है। लेकिन अधिनियम की धारा 9(2) के अन्तर्गत अधिकतम भरण पोषण भत्ता दस हजार रूपये प्रति माह से अधिक नहीं हो सकता है।अप्रार्थी संख्या 1 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय घोसिंगा(जुरहरा)में द्वितीय श्रेणी का अध्यापक है जिसे 80,000/–रू0 प्रतिमाह वेतन मिलता है। अधिनियम की धारा 9(1)के तहत प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 को 10 हजार रूपये प्रतिमाह भुगतान करने

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

का अप्राथीगण संख्या 1 को आदेश देता है। अप्रार्थी संख्या 2 जोकि अप्रार्थी संख्या 1 की पत्नी है तथा प्रार्थी संख्या 1 व 2 की पुत्रवधु है जोकि अधिनियम द्वारा परिवार के सदस्यों की सूची में वहू शामिल नहीं किये जाने से भरण पोषण का खर्च नहीं दिलाया जा सकता है। धारा 24 के तहत अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 को जरिये पुलिस पावंद किया जाता है कि प्रार्थीगण को अपने निवास से वेदखल नहीं करें। प्रार्थीगण के साथ मारपीट व बदसलूकी नहीं करें। इसके लिए अप्रर्थीगण को पावंद किया जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया। हम प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र भरण पोषण अधिनियम 2007 को स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी मनीष कुमार पुत्र मदनलाल से प्रार्थीगण(सपत्नीक) को भरण पोषण हेतु प्रति माह 10,000/—रू.(दस हजार रू.) दिलवाया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है कि :—

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 व 24 माता—पिता एवं बरिष्ठजन नागरिकों का भरण—पोषण तथा कल्याण अधि0 2007 को स्वीकार किया जाता है।

प्रार्थीगण(सपत्नीक) श्री मदनलाल पुत्र स्व0 मैदीराम तथा श्रीमति पुष्पा पत्नी मदनलाल जातियान रैगर नि0 नई सडक रैगर मौहल्ला कस्बा डीग थाना कोतवाली डीग के पंजाब नैशनल बैंक डीग के बचत खाता संख्या 0989000100371967 में अप्रार्थी संख्या 1 मनीष कुमार पुत्र मदनलाल जाति रैगर नि0 रैगर मौहल्ला कस्बा डीग थाना कोतवाली डीग से कुल 10,000/—रू0 (दस हजार) प्रति माह जमा कराये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण आपस में सद्भावना बनायें रखेगें।

उक्त आदेश की पालना हेतु आंदेश की प्रति थानाधिकारी पुलिस कोतवाली डीग को भिजवाई जाकर तदानुसार प्रकरण का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(देवी सिंह)
भरण पोषण अधिकरण अधिकारी
(उपखण्ड मजिस्ट्रेट),डीग

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
डीग (डांग) राज.

निर्णय आज दिनांक 24.01.2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट डीग (डांग) राज.

(देवी सिंह)
भरण पोषण अधिकरण अधिकारी
(उपखण्ड मजिस्ट्रेट),डीग

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
डीग (डांग) राज.

Scanned with OKEN Scanner